(d) if no action has been taken the reasons therefor;

(e) whether Government propose to formulate any new scheme to give some relief to consumers who are finding it difficult to meet their day to day expenses on account of steep rise in prices of essential commodities; and

(f) whether Government have any check on the shopkeepers who are charging high rates of goods from the customers after sticking desired stickers of price indication: if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) For protecting the interest of consumers in respect of prepacked commodities, the following steps have been taken by this Ministry:

(i) An advertisement has been issued in the National Newspapers inviting the attention of the manufacturers of prepacked commodities to pass on the benefit of recent tax cuts to consumers and warning the dealers/traders of penal action if the provisions are not compiled with.

(ii) Minister of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution has written letters to all Chief Ministers of the States and UTs urging them to take necessary steps under the rules to ensure that the consumers are not charged more than the revised price announced by the Manufacturers.

(iii) Minister of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution has also written letters to the Presidents of all the four apex industry Association requesting them to ensure that their members pass on the benefits of duty concessions to the consumers.

(iv) Letter has been written to all Secretaries in charge of the Weights and Measures Department in the States and Union Territories for ensuring strict implementation of the provisions of the Standards of Weights and Measures (Packed Commodities) Rules, 1977.

(v) Letters have been written to the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) with a request to conduct a study on whether the industries have passed on the benefits of tax concessions to the consumers in respect of some selected items on sample basis.

(c) and (d) Name, Sir. The Ministry of Finance have informed that there is no provision under the Central Excise laws to take action against the industries that have defaulted in the matter of passing on of duty concessions.

(e) Government monitors the prices of major essential commodities to see that prices of these commodities do not rise sharply. Some essential commodities are also supplied through Public Distribution System on prices below the market prices to the poor and vulnerable sections of the society.

(f) Under the provisions of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977 after the commodities are packed, the declaration of sale price and other declarations can not be altered. The maximum price declared on the package is the upper limit of the price which a retailer can charge from the consumer. He can, however, charge price lower than the price marked on the package.

खाद्य तेलों की मांग और उनका उत्पादन

7582. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 8 मई, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 5042 के दिये गये उत्तर को देखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में खाद्य तेलों की मांग

को घरेलू उत्पादन से पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है ;

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश की खाद्य तेलों की मांग का कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से और कितना प्रतिशत आयात द्वारा पूरा किया गया था और उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में इसका अलग-अलग मूल्य क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन वर्षों के दौरान देश से तिलहनों का निर्यात भी किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अलग-अलग वर्ष में तिलहनों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया, है और प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग इसका मूल्य क्या था ; और

(ङ) एक ओर तिलहनों का निर्यात करने और दूसरी ओर खाद्य तेलों का आयात करने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर) 1992-93 से 1994-95 के दौरान खाद्य तेलों की अनुमानित मांग और सभी घरेलू स्रोतों से कुल उनकी उपलब्धता नीचे दर्शाई गई है :—

(मात्रा लाख मी० टन में)

तेल वर्ष	खाद्य तेलों की मांग	खाद्य तेलों का उत्पादन
1992-93	65.59	61.00
1993-94 (अनुमानित)	67.20	61.70
1994-95 (सम्भावित)	69.80	64.00

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि इस समय देश में खाद्य तेलों की मांग और उपलब्धता के बीच लगभग 5-6 लाख मी० टन का अन्तर है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गत तीन तेल वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेलों की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

तेल वर्ष	राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया आयात (मात्रा लाख मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1992-93	0.52**	45.34
1993-94	1.46**	210.23
1994-95 (26-5-95 तक)	0.24*	52.64*

*लगभग

** इसमें वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान यू०एस० एड के तहत उपहार के रूप में प्राप्त क्रमशः 16,000 मी. टन और 21,500 मी. टन अपरिकृत सोयाबीन तेल की मात्रा शामिल है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नहीं है ।

(ग) और (घ) जी, हां । पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तिलहनों के निर्यात और उनका मूल्य निम्नवत है :

वर्ष	तिलहनों का निर्यात (मात्रा लाख मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1992-93	0.549	93.29
1993-94	1.232	223.35
1994-95	1.10	235.00

(ङ) खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी गई है ताकि खाद्य तेलों की कीमतें उचित स्तर पर रखी जा सकें और

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसकी आपूर्ति बनी रहे । तिलहनों के घरेलू उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय मांग और घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनके मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्यत: उत्पादकों को सहायता देने तथा साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए तिलहनों के सीमित निर्यात की अनुमति दी गई है ।

Fiscal deficits in Super Bazar

7583. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the latest estimate regarding the revenue, fiscal monetary and budgetary deficits during the current year of Super Bazar and what is the basis for these estimates;

(b) whether Government are committed to contain these deficits as per the targets fixed at the time of budget estimates for the year 1994-95;

(c) if so, what is the extent of success likely to be attained in view of the position of income expenditure during this year so far;

(d) what concrete measures/steps have so far been taken by Government in this direction to ensure that these deficits are not allowed to exceed the desired level; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Super Bazar has reported that as per estimate, it is not likely to have revenue/budget deficits for the current year as all expenditure is proposed to be met out of its profits/earnings.

(b) to (e) In view of the reply to part (a) above, questions do not arise.

मध्य प्रदेश का रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध

7584. **श्री मूलचन्द मीणा :**
श्री अजीत जोगी :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गरीब लोगों के लिए रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)

(क) इस समय, मध्य प्रदेश के कुल 459 खण्ड में से 223 खण्ड सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं । मध्य प्रदेश में समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिए पहचाने गए खण्डों, जहां राज्य की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी पर्याप्त संख्या में रहती है, सपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं । संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण हेतु अभिप्रत खाद्यान्न केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषरूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं, जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य की तुलना में 50/- रु. प्रति क्विंटल कम है । गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु